न्यायालय– समाहर्त्ता, सहरसा।

विविध आपूर्ति अपील वाद संख्या– **02/2016**

इन्द्रमोहन सिंह वनाम राज्य एवं अन्य

–:: आदेश ::–

8.2.17 प्रस्तुत आपूर्ति विविध वाद अपीलार्थी इन्द्रमोहन सिंह द्वारा जप्त ट्रक BR-20G-4261 को मुक्त करने संबंधी सी0डब्लू0जे0सी0 6768/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.04.2016 को पारित आदेश की प्रति लगाकर दाखिल किया गया है।

सरकारी खाद्यान्न की कालाबजारी के उद्धेश्य से ले जाते समय ट्रक पर लदे खाद्यान्न को जप्त कर अपराधिक मुकदमा के साथ–साथ 7 E.C के तहत कार्रवाई की गयी थी।

दिनांक 26.04.2016 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत है :–

This court deems it fit and proper to direct the confiscating authority to release the aforesaid truck in favour of the petitioner on furnishing sufficient security/surety to the satisfaction of the Collector, Saharsa after due verification of ownership with further condition that whenever the vehicle in question would be required either in the confiscation proceeding or police case, that would have to be produced by the owner in whose favour that would be released and, further, the petitioner would not dispose of, alter or modify the vehicle till the aforesaid cases are pending.

The release would be subject to the result of the criminal case and confiscation case concerned.

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु वाहन के मालिक की उचित पहचान कर एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारी से समन्वय कर इस शर्त को बंध पत्र वाहन मालिक से प्राप्त कर लेंगे कि संबधित न्यायालय अथवा पुलिस केश में साक्ष्य हेतु आवश्यकता पड़ने पर अविलम्ब उक्त वाहन उपलब्ध कराया जायेगा तथा संबंधित न्यायालयों में वाद की समाप्ति तक उक्त वाहन की बिक्री अथवा स्वरूप परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त वाहन मालिक को एक सरकारी कर्मी से भी इस आशय का बंध–पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को समर्पित करना होगा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

8.2.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

8.2.17

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 401-2 / विधि, सहरसा, दिनांक 07-03-2017.

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

18-2-17